26.05.25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप.। अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 7 को क्र. 2 कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति. सं. 6 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद कर सीधी बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन कर आदेशिका दिनांक 18/07/2023 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। प्रति. सं. की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया द्वारा इसका विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारीज फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नं. 27/2023

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक मौजा डेडवा, पटवार मण्डल जाखल के खेत ख.न. 422, 423, 424, 708 में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner